बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0 / अपील–प्राधि0 / 20 / 2024 / पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 – 120 / 2024

श्री अनिरूध प्रसाद शाही, पिता–स्व0 रामनरेश ठाकुर, निवासी–बरूराज, डाकघर एवं थाना–बरूराज, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर पिन–843132, निदेशक, श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–63 / 2024 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 552 दिनांक–07.02.2024 के द्वारा उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

2. अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मुख्य अभियंता द्वारा भयादोहन किये जाने एवं गलत तरीके से अनैतिक आय की प्रत्याशा में उन्हें कालीकृत किये जाने के संबंध में लिखित विवरण उनके द्वारा दिनांक–20.02.2024 को समर्पित किया गया है, जिसकी प्रति अपील आवेदन के साथ Annexure-1 के रूप में संलग्न की गयी है।

Ref. No.- 40-02-2024 से दिनांक–20.02.2024 को समर्पित 'रिश्वत नहीं देने के कारण भवदीय के मुख्य अभियंता द्वारा अपने पद एवं शक्ति का दुरूपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कालीकृत करने' विषयक उपर्युक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार उनके द्वारा अब तक किसी भी विषय अथवा निविदा हेतु गलत शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1947 (अनु०) दिनांक 31.03.2023, जिससे उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया, वह पत्र उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन कार्य लम्बित रहने के कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित करने एवं आगे की निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने के लिये स्पष्टीकरण से संबंधित पत्रांक–1185, पटना दिनांक–22.02.2023, डाक के माध्यम से दिनांक–10.03.2023 को उन्हें प्राप्त हुआ। उक्त स्पष्टीकरण का जबाव उनके द्वारा दिनांक 18.03.2023 को शपथ पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी को दिया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के पत्रांक–643 (अनु०) दिनांक–30.03.2023 द्वारा उन्हें डिफॉल्टर सूची से मुक्त रखने की अनुशंसा की गयी।

उनके द्वारा आगे कहा गया है कि ग्रामीण कार्य विभाग को भी उन्हें डिफॉल्टर होने की जानकारी नहीं थी। इसी विभाग द्वारा उन्हें कई कार्य आवंटित किया गया है। जिस कार्य के विरूद्ध डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, उक्त कार्य को पूर्ण होने के उपरान्त संवेदक स्वतः डिफॉल्टर सूची से मुक्त हो जाता है। उनके द्वारा उक्त कार्य दिनांक 20.06.2023 को समाप्त कर दिया गया। मुख्य अभियंता के द्वारा कार्य आवंटन के पश्चात डिफॉल्टर सूची की आड़ में उनसे लगातार पैसे की मॉग की जा रही है एवं धमकी दी जा रही है।

उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये, उनके द्वारा मुख्य अभियंता के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुये, मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अपील आवेदन के साथ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–1947(अनु0) दिनांक–31.03.2023, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के पत्रांक–643(अनु0) दिनांक–30.03.2023, पथ निर्माण विभाग के आदेश, ज्ञापांक–2131(S) दिनांक–18.03.2009, उनकी कार्य पूर्णता से संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी को संबोधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के पत्रांक–3070(अनु0) दिनांक–18.12.2023 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश, ज्ञापांक–27 दिनांक–03.01.2024 की प्रति संलग्न की गयी है।

3. इस मामले से संबंधित मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–63/2024 दिनांक–07.02.2024 में उल्लेख किया गया है कि

"बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा प्रकाशित NIT 03/2023–24 के ग्रुप सं0–08,11; NIT 09/2023– 24 के ग्रुप सं0–04 एवं NIT 27/2023–24 के ग्रुप सं0–05 में श्री अवध मिथिला कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, बरूराज जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–843132 द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदा में इनके द्वारा शपथ–पत्र दिया गया कि इन्हें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Black listed नहीं किया गया है। इन्हें उक्त कार्यों को आवंटित भी कर दिया गया, जबकि अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के कार्यालय का पत्रांक–1947 (अनु०) दिनांक–31.03.2023 द्वारा आपको अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था।

संवेदक द्वारा निविदा में छलपूर्वक गलत शपथ–पत्र समर्पित करने के कारण उनके पत्रांक HQ 106 (अनु०) दिनांक–10.01.2024 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः स्मार पत्रांक HQ–370 (अनु०) दिनांक–05.02.2024 द्वारा डाक एवं ईमेल से पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप मुख्य अभियंता के उपर्युक्त आदेश से संवेदक, श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–प्रथम 25/2023 (कम्पनी) (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली' 2007 के प्रावधानों के तहत् आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

4. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 106(अनु0) दिनांक–10.01.2024 एवं स्मार पत्र–एच0क्यू0 370(अनु0) दिनांक–06.02.2024 के द्वारा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के कार्यालय का पत्रांक–1947(अनु0) दिनांक–31.03.2023, जिससे अपीलकर्ता को Programme of Woks के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने के लिये अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था, का उल्लेख करते हुये, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की निविदा में गलत शपथ पत्र के आधार पर भाग लेने के लिये उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के फलस्वरूप अपीलकर्ता के निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली' 2007 के प्रावधानों के तहत 10 वर्षों के लिये कालीकृत कर दिया गया।

5. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1947(अनु0) दिनांक–31.03.2023 के द्वारा ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के अधीन योजनाशीर्ष MMGSY (Gen.) अन्तर्गत House of Dhanjee Sah to PMGSY Road के पथ निर्माण कार्य में Programme of Works के अनुसार समानुपातिक कार्य नहीं करने से अपीलकर्ता श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0

लि0 को अगली निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया। अपीलकर्ता द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के लिये 19.06.2023 की तिथि में शपथ पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं रहने, किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा debar, blacklisted इत्यादि नहीं किये जाने का उल्लेख है। अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा दखिल इसी शपथ पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने का उल्लेख करते हुये, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अपीलकर्ता के निबंधन को 10 वर्ष के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया।

सुनवाई के दौरान, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 106 (अनु0) दिनांक–10.01.2024 एवं एच0क्यू0 370(अनु0) दिनांक–05.02.2024 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर, अपीलकर्ता के द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंता के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं पर उनके द्वारा पूर्व में ही अपने पत्र दिनांक–12.12.2023 एवं पत्र, दिनांक–03.01.2024 से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। इन पत्रों की जानकारी मुख्य अभियंता को थी। इन पत्रों की जानकारी रहने के बावजूद मुख्य अभियंता द्वारा अनैतिक लाभ के लिये दबाव बनाने के उद्देश्य से उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाती रही।

कार्यालय अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता का उपर्युक्त पत्र, Ref: HQ 06/12 Dated: 12/12/2023 एवं Ref- HQ -3/1/24 Dated: 03/01/2024, मुख्य अभियंता कोषांग में क्रमशः दिनांक–12.12.2023 एवं दिनांक–04.01.2024 को प्राप्त है।

6. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1185 दिनांक–22.02.2023, जिससे PMGSY (Gen.) अन्तर्गत House of Dhanjee Sah to PMGSY Road के पथ निर्माण कार्य में एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, का जवाब अप्राप्त रहने के कारण अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 1947(अनु0) दिनांक–31.03.2023 से श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को आगे की निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित उपर्युक्त पत्र दिनांक–22.02.2023 के आलोक में श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के द्वारा उचित माध्यम से अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को, defaulter सूची से मुक्त रखने के लिये शपथ पत्र के साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी द्वारा अपने पत्रांक–643(अनु0) दिनांक–30.03.2023 से संवेदक श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को डिबार से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया। इस पत्र का उल्लेख अभियंता प्रमुख का संवेदक को डिबार किये जाने से संबंधित पत्र, दिनांक–31.03.2023 में नहीं है।

अपील की सुनवाई के दौरान, ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट को peruse कराने से ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता श्री अवध मिथिल कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 का नाम Contractor Debarred List में नहीं है। उन्हें debar किये जाने से संबंधी अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1947 दिनांक–31.03.2023, Order & Disposal शीर्ष के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट पर दिनांक–21.04.2023 को upload किया गया।

अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ समर्पित Annexure-1 के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा defaulter घोषित कर दिये जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी। इस अवधि में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उन्हें कार्य भी आवंटित किया गया। बिहार पुलिस भवन

निर्माण निगम से डिबार संबंधी जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से सम्पर्क करने पर तुरंत ही अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश, ज्ञापांक–27 दिनांक–03.01.2024 के द्वारा उन्हें defaulter सूची से मुक्त कर दिया गया। अभियंता प्रमुख के उपर्युक्त आदेश में उल्लेखित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी के पत्रांक–3070(अनु0) दिनांक–18.12.2023 एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–मोतिहारी के पत्रांक–1613(अनु0) दिनांक–26.12.2023 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के साथ डिफॉल्टर सूची से विमुक्ति हेतु चेक लिस्ट में, कार्य समाप्ति की तिथि 20.06.2023 दर्शायी गयी है।

7. Programme of Works के समानुपातिक कार्य नहीं करने या कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण संवेदकों को debar या defaulter तो घोषित कर दिया जाता है, परन्तु कार्य पूर्ण करने के उपरान्त लम्बे समय तक उन्हें debarred या defaulter list से विलोपित नहीं किया जाता है। प्रस्तुत मामले में संवेदक को Programme of Works के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1947 दिनांक–31.03.2023 के द्वारा defaulter list में डाल दिया गया था, संबंधित कार्य 20.06.2023 को पूर्ण किये जाने एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध रहने के बावजूद संवेदक को साढ़े छः माह बाद आदेश, ज्ञापांक–27 दिनांक–03.01.2024 से defaulter list मुक्त किया गया। इसी विभाग द्वारा एक अन्य मामले में दिनांक–29.06.2017 को निर्गत पत्र से defaulter सूची में अंकित संवेदक को दिनांक–14.09.2023 के आदेश से, कार्य पूर्णता की तिथि 20.07.2017 अर्थात 06 वर्ष पूर्व के प्रभाव से defaulter list से विलोपित कर दिया गया है। इससे सभी को समान अवसर नहीं मिलने के साथ, स्वस्थ स्पर्धा भी प्रभावित होता है।

8. उल्लेखनीय है कि अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–1947 दिनांक–31.03.2023 से संवेदक श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को अगली निविदाओं में भाग लेने से debar किया गया एवं पत्रांक–27 दिनांक–03.01.2024 से defaulter list से मुक्त किया गया, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ही इस बीच की अवधि में दिनांक–21.06.2023, 26.06.2023, 05.07.2023, 02.08.2023, 28.08.2023 एवं 30.11.2023 को सम्पन्न तकनीकी बीड समिति की बैठकों में, जिसमें अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे, में संवेदक श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को विभिन्न कार्यों के लिये समर्पित निविदाओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया है। यही नहीं, इसी अवधि में, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के पत्रांक–1080 दिनांक–01.08.2023 के द्वारा संवेदक श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को पथ निर्माण, राशि 73,57,863/–रू0(तिहत्तर लाख सत्तावन हजार आठ सौ तिरेसठ रू0) का कार्यादेश निर्गत किया गया है। इसी विभाग से कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, चकिया, पूर्वी चंपारण के पत्रांक–1852 दिनांक–10.02.2023 के द्वारा संवेदक श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को कुल–04 पथों का निर्माण कार्य, जिसमें निहित राशि कुल रू0 9,61,58,801/–(नौ करोड़ इकसठ लाख अट्ठावन हजार आठ सौ एक रू0) है, आवंटित किया गया है।

9. अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग का संवेदकों को अगली निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किये जाने विषयक पत्रांक–प्र06/विविध(कार्य)–66/2009 1504(E) दिनांक–30.04.2009 के अनुसार "संवेदकों को अगली निविदा से भाग लेने में तबतक वंचित किया जाय, जबतक वे जिस कार्य/कार्यों में Defaulter घोषित किये गये हैं, उन सभी को पूर्ण नहीं करा देते हैं।" इसका आशय है कि

संबंधित कार्य/कार्यों को पूर्ण कराने या वांछित milestone प्राप्त कर लिये जाने के उपरान्त संवेदकों को debarment या defaulter list से मुक्त माना जा सकता है।

10. उपलब्ध कंराये गये अभिलेखों एवं नियमों के आलोक में, अपीलकर्ता के निबंधन को कालीकृत किये जाने का आदेश, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा व्याप्त नियमों एवं परिनियमों के दृष्टिकोण से निरस्त करने योग्य है।

अतः अपीलकर्ता श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–श्रेणी–प्रथम 25/2023 (कंपनी) (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) को कालीकृत किये जाने से संबंधी मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश सं0–63/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 552 दिनांक–17.02.2024 निरस्त किया जाता है।

अपील स्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री अनिरूध प्रसाद शाही, पिता–स्व0 रामनरेश ठाकुर, निवासी–बरूराज, डाकघर एवं थाना–बरूराज, मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर पिन–843132, निदेशक, श्री अवध मिथिला कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ......110......1215..... ./ पटना, दिनांक – ....9/11/.....2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/11/24

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम